माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎: कार्या:– 0755–2551650

क्रमांक/2046 /परीक्षा समन्वय/2021 भोपाल दिनांक–07 जुलाई 2021

आदेश

कोविड–19 संक्रमण की गंभीरता एवं विषम परिस्थितियों के कारण हायर सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षायें वर्ष 2021 निरस्त होने के फलस्वरुप मण्डल के आदेश क्रमांक/2041–42/परीक्षा समन्वय/2021 भोपाल, दिनांक 29 जून 2021 द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्ययोजना जारी की गई है। उक्त आदेश के तालिका क्रमांक 01 में हाईस्कूल के विषयों का हायर सेकेण्डरी के संकायवार विषयों से मेपिंग की गई है। कतिपय अन्य राज्य/अन्य बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्रों के विषय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कक्षा 10वीं के विषयों से भिन्न होने के कारण मण्डल द्वारा जारी मेपिंग अनुसार ऐसे छात्रों के अंको की प्रविष्टि करने के संबंध में विभिन्न संस्थाओं द्वारा मण्डल में आवेदन प्रस्तुत कर मार्गदर्शन चाहा गया है।

2/ संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों में उल्लेखित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये केवल ऐसे छात्रों के कक्षा 10वीं की अंकसूची के आधार पर हायर सेकण्डरी के लिये ऑनलाईन अंको की प्रविष्टि हेतु निम्नानुसार मेपिंग नियत की जाती है–

क्रं.	कक्षा 10वीं के विषय/ सर्वश्रेष्ठ पांच विषय	कक्षा 12वीं के विषय
1	प्रथम विषय	प्रथम भाषा
2	द्वितीय विषय	द्वितीय भाषा
3	तृतीय विषय	डायवर्सीफाईड समूह का प्रथम विषय
4	चतुर्थ विषय	डायवर्सीफाईड समूह का द्वितीय विषय
5	पंचम विषय	डायवर्सीफाईड समूह का तृतीय विषय

3/ जिन छात्रों की अंकसूची में ग्रेड अंकित है उन छात्रों को ग्रेडिंग की सीमा निर्धारित कर न्यूनतम अंक प्रदाय किये जायेंगे। उदाहरण स्वरुप किसी छात्र को हिन्दी में A ग्रेड है और उसकी अंको की सीमा 80 से 90 है तो उसे 80 अंक प्रदान किये जायेंगे।

4/ यदि किसी छात्र को किन्ही विषय में पूर्णांक 100 से अधिक या 100 से कम होने पर ऐसे प्रकरण में प्रत्येक विषय के अंक को पूर्णांक 100 में से परिवर्तित करते हुये अंक प्रदान किये जावें।

5/ यदि किसी बोर्ड में उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत से कम है तथा छात्र को 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त है तो ऐसे छात्रों को उक्त विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अर्थात 33 अंक प्रदान किये जावें।

6/ अतः दिनांक 08 जुलाई 2021 तक उपरोक्त प्रकिया के अर्न्तगत छात्रों के अंको की ऑनलाईन प्रविष्टि अनिवार्य रुप से करना सुनिश्चित करें।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/2047 /परीक्षा समन्वय/2021 भोपाल दिनांक– 07 जुलाई 2021

प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2– आयुक्त, लोक शिक्षण, गौतम नगर, मध्यप्रदेश भोपाल।
3– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
4– आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स मध्यप्रदेश भोपाल।
5– समस्त– संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6– समस्त–जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7– समस्त– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8– समस्त– संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
9– समस्त–उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
10– समस्त–जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11– समस्त– प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्थायें, मध्यप्रदेश।
12– आंचलिक/समस्त–संभागीय अधिकारी संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल म.प्र.।
13– सी.एस.ओ./जन सम्पक्र अधिकारी/पंजीयक परीक्षा/विधि सलाहकार/समस्त–सहायक सचिव/कक्षाधिकारी/समकक्ष अधिकारी/लोकसूचना कक्ष/सुरक्षा अधिकारी,मा.शि.म.मंडल म.प्र.।
14– निज सचिव–अध्यक्षअति.सचिव/उपसचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी, मा0शि0म0 म.प्र.।
15– समस्त– प्राचार्य, मण्डल से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल